

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

गेट संख्या 14/सी

देवरनिया

जारी तिथि

लागू तिथि

परिशिष्ट - "क"

देवरनिया स्टेशन पर स्थित ट्रेफिक समपार फाटक संख्या 14 श्रेणी "सी" के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य -

1	समपार फाटक की संख्या	14 / सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	ट्रेफिक
3	अधीन स्टेशन अधीन / रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक / देवरनिया
4	किलोमीटर पर स्थित	15 / 3-4
5	स्टेशन	देवरनिया
6	स्टेशन मध्य	देवरनिया - बहेड़ी
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	अप प्रस्थान सिगनलो एवं डाउन होम सिगनल से इन्टरलाकड
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	-
(i)	अप साइड	-
(ii)	डाउन साइड	-
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन / घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर / देवरनिया से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच० / एस०एच० / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	नैनीताल रोड मुडिया रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	5.50 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्व्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	90°
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90°
23	सड़क का प्रकार (सीधा / गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1:30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1:30
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	4.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी०वी०यू०	12838 अक्टुबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल - 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48
जारी तिथि

गेट संख्या 14/सी
लागू तिथि

देवरनिया

34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुडिया जागीर
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	01 (बैट्री चालित) 02 (K.Oil)
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्लैसिंग ट्राई कलर लाइट टार्च	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेल्चा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

जारी तिथि

गेट संख्या 14/सी

लागू तिथि

देवरनिया

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के लिए तैयार रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक, आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे-हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/देवरनिया, गैंग मैन अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48
जारी तिथि

गेट संख्या 14/सी
लागू तिथि

देवरनिया

- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्रियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/बहेड़ी को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर पलैंग जोड़ीदार लगायेगा।

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48
जारी तिथि

गेट संख्या 14/सी
लागू तिथि

देवरनिया

- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/बहेड़ी को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

- (i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर सचेत करेगा / रोकेंगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

गेट संख्या 14/सी

देवरनिया

जारी तिथि

लागू तिथि

- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति –

कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए 'चाबी पी-1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर पद लगे 'ई' प्रकार के लाक में चाबी 'पी-1' लगाकर घुमाएगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खींचने से बूमों को क्षैतीजिय स्थिति में पाशित करेगा। चाबी 'पी' बूम लाक लीवर से निकालने के बाद गेट लाज में लगे लीवर लाक में लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा।

गाड़ी गुजरे के बाद गेट लॉज में प्रदत्त लीवर लाक पर लाक फ्री इंडिकेशन मिलने के बाद गेट मैन चाबी 'पी' को लीवर को एण्टि क्लाक वाइज घुमाकर 'पी' चाबी को निकाल ली जायेगी। पी चाबी कासे लीवर संख्या 1 में लगाकर लीवर को सामान्य अवस्था में करके चाबी 'पी-1' निकाली जायेगी जिसे विंच में लगाकर विंच को संचालित कर गेट को खोलेगा जब तक कि दोनों बैरियर लगभग उर्ध्वाधार ना हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :-

1. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया**, किसी डाउन गाड़ी के लिये आगमन सिगनल अथवा अप गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा समय से सूचित करेगा।

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने / की-ट्रॉसमिट करने का समय	समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / गेट खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	5	6

2. गेटमैन गेट को बन्द करके चाबी लीवर लाक में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा सिसे स्टेशन मास्टर को इस गेट के बन्द होने के पुष्टि स्वरूप एक इन्डीकेशन मिलेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

जारी तिथि

लागू तिथि

3. इसके बाद **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** द्वारा आगमन/प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।
4. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।
5. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनिया** निम्न कार्यवाही करेगा :-

1. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** गेट मैन के पास किसी रेल कर्मचारी द्वारा लिखित सूचना भेजेगा जिसमें गाड़ी का नम्बर, दिशा एवं विवरण लिखा होगा।
2. गेट मैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को बन्द करेगा और चाबी को लीवर लाक में लगा देगा जो स्टेशन मास्टर को आगमनध्रप्रस्थान सिगनल आफ करने को प्राधिकृत कर देगा।
3. यदि गाड़ियों की आवृत्ति के कारण समुचित समय न हो तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के चालक को सिगनल आन की दशा में पार करने हेतु लिखित प्राधिकार देगा।
4. इसके अतिरिक्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. गाड़ी के चालक को निर्देश दिया जायेगा कि वह गेट मैन के हाथ संकेत पर सतर्कतापूर्वक गेट को पास करे। यदि हाथ सिगनल नहीं मिलता है तो गाड़ी का चालक गाड़ी को गेट के पास रोकने के लिये तैयार रहेगा और गेट का बन्द होना सामान्य नियम 3.73 के अनुसार सुनिश्चित करेगा।
6. जब गाड़ी बहेड़ी के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
7. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ देवरनिया संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

जारी तिथि

गेट संख्या 14/सी

लागू तिथि

देवरनिया

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

- जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/ देवरनिया** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
- गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जब गाड़ी **बहेड़ी** की तरफ से आने वाली है, तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनिया स्टेशन मास्टर-बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान के द्वारा सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
- तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर-बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनिया** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
- सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

टिप्पणी :- सभी आने और जाने वाली गाड़ियों के चालक को नियमानुसार सिगनलो को ऑन की स्थिति में

पार करने के लिए प्राधिकार दिया जायेगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये लीवर लाक से निकाली जा सके –

- जब गेट चाबी लीवर लाक से बाहर नहीं निकाला जा सकता तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान के अर्न्तगत टेलीफोन पर सूचित करेगा। कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनिया** पैनल कक्ष में स्थापित पार्किंग एचकेटी से आपातकालीन चाबी 'पीई' निकाल कर समपार पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लाग रजिस्टर में इन्दराज करेगा।

क्र०सं०	दिनांक	गेट संख्या	चाबी संख्या	चाबी भेजने का समय	प्रयोग का कारण
1	2	3	4	5	6

- गेटमैन चाबी 'पीई' बूमलाक लीवर में लगाकर बूम को अनलाक करेगा तथा पैरा 2.1 में वर्णित विधि से समपार फाटक को खोलेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

जारी तिथि

लागू तिथि

3. इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
4. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर- देवरनिया, कार्यरत स्टेशन मास्टर- बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर-बहेड़ी** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करके वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनिया** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-

1. जब गेट की चाबी विंच से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर- देवरनिया** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
4. कार्यरत **स्टेशन मास्टर- देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर- देवरनिया, कार्यरत स्टेशन मास्टर-बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर-बहेड़ी** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करके वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनिया** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 समपार फाटक पर अवरोध -

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तुरन्त आपातकालीन सिवीच के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आन स्थिति में कर देगा जिसकी विधि निम्नवत है -

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48
जारी तिथि

गेट संख्या 14/सी
लागू तिथि

देवरनिया

आपातकालीन स्विच :-

- आपातकालीन समय में गेट रक्षित करने वाले सिगनलों को आफ से आन स्थिति में करने के लिये समपार संख्या 14/C पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे केस में लगा है जो सील बन्द रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलो को आफ से आन करने के लिये गेटमैन ग्लास को तोड़कर स्विच को घुमाएगा। ऐसा करने से सिगनल आन हो जायेंगे। गेटमैन इसका विवरण पैरा 2.2 में दिये गये लागू रजिस्टर के रिमार्क कालम संख्या 7 में अंकित करेगा। तत्पश्चात् कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बाद गेटमैन स्विच को नार्मल कर देगा तथा ग्लास को एस एण्ड टी कर्मचारी द्वारा पुनः बदल दिया जायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
 3. समपार के दोनो तरफ एम०जी०/बी०जी० में आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्टों पर गेटमैन दिन में लाल बैनर फूलैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा।
 4. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
 5. गेटमैन पटाखा तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फूलैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ बढ़ेगा जिस तरफ से एम०जी० / बी० जी० गाड़ी का आगमन संभावित है, तथा रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली के सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
 6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
 7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे है।
 8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया**, **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
 9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को सूचित करेगा।
 10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया/बहेड़ी** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
 11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिए संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48
जारी तिथि

गेट संख्या 14/सी
लागू तिथि

देवरनिया

12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर- देवरनिया** जिम्मेदार दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध -

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनिया** मद संख्या 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(आर०पी०मिश्रा)
मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48
जारी तिथि

गेट संख्या 10/सी
लागू तिथि
परिशिष्ट – "क-II "

देवरनिया

देवरनिया-भोजीपुरा के मध्य स्थित इंजी० गेट सं० 10 श्रेणी "सी" के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण
1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	10/ सी
2	इंजीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	रेल पथ निरीक्षक/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	10/4-5
5	स्टेशन	देवरनिया
6	स्टेशन मध्य	देवरनिया – भोजीपुरा
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड/नान इण्टरलाकड	नान-इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	..
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	----
13	संकेतन व्यवस्था
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन स्टेम०/देवरनिया से सम्बद्ध
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	विलेज रोड
18	पक्का / कच्चा	.कच्चा
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	5.50 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्वू गेट के लिए)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30 (बाँया)
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(नानक चन्द)

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	5.50 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	11798 अक्टुबर- 2010
32	अगली गणना की तिथि	अक्टुबर - 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	भोजीपुरा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हाँ / नहीं	हाँ

1.2 उपकरण -

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चैन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्लैसिंग ट्राई कलर टार्च	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चैन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4. गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। गाड़ियों के संचालन के समय एम०जी०/बी०जी० गाड़ी संचालन के दौरान समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दाँये हाथ में सिमटी लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक, सड़क यातायात के लिये खुला हो या बाधित हो अथवा आपात स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(नानक चन्द)

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे—हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डि्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।
- (4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य**
यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा।
- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर /देवरनियाँ कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर को सूचित करेगा।

1.5 **गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

(अ) **इकहरी लाइन पर**

- (i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च दिखाते हुये लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 400 / 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(नानक चन्द)

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

- (v) इसके बाद वह उसी प्रकार जैसा कि क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेंगा।
- (ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**
- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को रखा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे— वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिए एक विंच की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात विरुद्ध बन्द एवं लाक करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए विंच पर लगे 'ई' टाइप की चाबी धुमाकर निकाल लेगा तथा यह चाबी बूम लाकिंग लीवर में लगाकर घुमायेगा और बूम लॉकिंग लीवर को रिवर्स करेगा जिससे बूम लाक हो जायेगा। तत्पश्चात् गेटमैन इस चाबी 'ई' को अपने पास सुरक्षित रख लेगा। वह दिन के समय बाये हाथ में सिमटी हुई हथ्येदार हरी झण्डी तथा दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात के समय सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए चाभी 'ई' को बूम लाक लीवर में लगाकर लीवर को नार्मल स्थिति में करेगा। उससे चाबी निकाल कर विंच में लगे 'ई' टाइप लाक में लगाकर घुमाएगा तथा विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत न उठ जाय।

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

2.2 प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान –**(I) गाड़ियों का प्रस्थान –**

- कार्यरत स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय प्राइवेट नम्बर के साथ बतायेगा।
- यह सूचना प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले दी जायेगी।
- गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं लाक करेगा और इसकी पुष्टि स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान के साथ करेगा।
- स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ गेटमैन से प्राइवेट नम्बर प्राप्त होने के बाद ही गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनल आफ करेगा तथा गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने की अनुमति देगा।
- इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि वह गाड़ी सुरक्षित समपार से पास न हो जाये तथा गेट मैन टेल लाइट / एल0 वी0 बोर्ड देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

(II) गाड़ियों का आगमन –

- स्टेशन मास्टर- देवरनियाँ किसी डाउन गाड़ी का लाइन क्लीयर स्टेशन मास्टर –भोजीपुरा को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर , विवरण एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत पूछेगा।
- तब स्टेशन मास्टर- देवरनियाँ इस सूचना को गेटमैन को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत देगा।
- गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके गेटमैन अपना प्राइवेट नम्बर स्टेशन मास्टर – देवरनियाँ को देगा।
- गेट मैन से प्राइवेट नम्बर प्राप्त हो जाने के बाद स्टेशन मास्टर- देवरनियाँ, स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा को गाड़ी का लाइन क्लीयर देगा।
- इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि वह गाड़ी सुरक्षित समपार से पास न हो जाये तथा गेट मैन टेल लैम्प / एल0 वी0 बोर्ड देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

नोट :- स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लाग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना देने का समय	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेट मैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2-3 टेलीफोन संचार की विफलता -

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** निम्न कार्यवाही करेगा-

1. गाड़ी प्रस्थान कराने वाले स्टेशन मास्टर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
2. जारी किये जाने वाले सतर्कता आदेश में गाड़ी के लोको पायलट को लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट के तरफ आगे बढ़ने का निर्देश दिया जायेगा।
3. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट **'आल राइट' सिगनल** देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब **'आल राइट सिगनल'** देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट, गाड़ी के गार्ड की सहायता लेगा।
4. गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
- 5- तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर- भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
7. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
8. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता :-

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(नानक चन्द)

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

गेट संख्या 10/सी

देवरनिया

2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन से प्रत्येक बूम को बूम पोस्ट पर बांध कर बूम को पैडलॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सुरक्षा चेन और पैडलाक द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिरवायेगा।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी **भोजीपुरा** के तरफ से आने वाली है, तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ, कार्यरत स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** इन्जी० विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर गेट ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इन्जी० विभाग गेट ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 **समपार फाटक पर अवरोध :-**

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनल फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों लगायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** को यदि प्रस्थान सिगनल किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित किया जायेगा। यदि कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ**, ने किसी गाड़ी के लिये **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा** को लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को प्राइवेट नं०का आदान प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- 4- यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित है, तथा रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली के सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे है।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ**, **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** को सूचित करेगा।
10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** /भोजीपुरा सभी ट्रेन के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ (हरा) संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
- 11- गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** जिम्मेदार इन्जी० स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
- 13- सामान्य स्थिति केवल इन्जी० स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध —

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ देवरनियाँ** मद सं 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(नानक चन्द)

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

परिशिष्ट – “क-I”

देवरनिया-भोजीपुरा स्टेशनों के मध्य स्थित इंजी० समपार फाटक संख्या 9 श्रेणी “ए” के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण
1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	9/ए
2	इंजीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	रेल पथ निरीक्षक/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	10/1-2
5	स्टेशन	देवरनिया
6	स्टेशन मध्य	देवरनिया – भोजीपुरा
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड/नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	..
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	9/9-10/0
(ii)	डाउन साइड	10/3-4
13	संकेतन व्यवस्था	–
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	मैग्नेटो टेलीफोन देवरनिया से सम्बद्ध
15	समपार फाटक की चौड़ाई	8.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	नैनीताल रोड-येथल
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	6.50 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	90°
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90°
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1;30 (बॉया)
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1;30 (दॉया)
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा

24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	5.50 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	43836 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	अक्टूबर- 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	ऑटामांडा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बत्ती लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चैन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्लैशिंग ट्राइ कलर टार्च	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेल्टा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में गेट की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चैन व पैडलाक (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(आर०पी०मिश्रा)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

(नानक चन्द)

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।
- (11) इंजी० इन्टरलाकड गेट हेतु सिगनल एवं दूर संचार पंजिका

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :(I) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के लिए तैयार रहेगा ।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा ।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा ।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में सिमटी हुई लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हुई हरी झण्डी डण्डे में लगी सिमटी हुई लिये रहेगा ।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा ।
- (iv) गेट मैन धागे में बांधकर सीटी गले में लटकाये रहेगा ।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में एम०जी० या बी०जी० रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा ।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा ।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा । गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा ।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और एम०जी० / बी०जी० ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा ।

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे – हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन / वैगन / ट्रेन / बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) समपार फाटक के सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेट मैन गेट सिगनलों को आन की दशा में रखेगा।
- (x) समपार फाटक के सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेट मैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द करके ताला लगा देगा और गाड़ियों का हैण्ड सिगनल पर पास करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के लोको पायलट द्वारा गेट सिगनल खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (xi) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xiii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiv) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xv) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xvi) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xvii) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xviii) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

यदि गेटमैन किसी पास हो रही एम०जी० या बी०जी० गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा –

- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर

मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०/इज्जतनगर

- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/देवरनियों को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह दोनो तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/देवरनियों को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/देवरनियों कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

- (i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्लैसिंग ट्राई कलर टार्च और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के बाद वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

गेट संख्या 9/ए

देवरनिया

- (v) इसके बाद वह उसी प्रकार जैसा कि क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल दिखाकर सचेत करेगा / रोकेंगा।
- (ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही
- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर—देवरनियाँ अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन की विधि —

इन निर्देशों को सलग्न आर०डी०सं० उपमुसिदूई/इज्जतनगर/2012(आर०डी०)/3 दिनांक 17.3.2012 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

2.1 संचालन पद्धति —

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिये विन्च पर लगे ई टाइप लाक से चाबी पी-1 को घुमाकर निकाल लेगा तथा इस 'पी-1' चाबी को बूम लाक लीवर में लगे ई टाइप लाक में लगाकर घुमाएगा तथा बूम लाक लीवर को रिवर्स करेगा जिससे बूम गेट की बन्द स्थिति में लाक हो जायेगा। इससे चाबी पी रिलीज हो जायेगी। चाबी पी को निकालकर चाबी पी के सिर पर चेन से जुड़ी/रिविट की हुई के०ए०सी०आर० की चाबी को के०एल०सी०आर० में लगाकर घुमा देगा। इससे गेट सिगनल मुक्त हो जायेगें। तत्पश्चात जैसी आवश्यकता हो **स्विच संख्या 1 अथवा एवं 2** को आर की ओर धुमाकर अप अथवा डाउन गेट सिगनल को आफ करेगा।

गेट की सुरक्षा के लिए अप/डाउन गेट सिगनल तथा अप/डाउन डिस्टेन्ट कलर लाइट सिगनलो की व्यवस्था है। सभी सिगनल देवरनियाँ स्टेशन के **IPS** से प्रकाशित होते हैं अप /डाउन गेट डिस्टेन्ट सिगनल क्रमशः अप तथा डाउन गेट सिगनलो के आस्पैक्ट के अनुसार नियंत्रित है। गेट सिगनलो को प्ररिचालन हेतु गेट लाज में लगे पैनल पर दिये गये स्वीच को निम्न प्रकार से प्रचालित करेगा—

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

स्विच संख्या	गाड़ियों का आगमन / प्रस्थान	स्विच का संचालन
2	अप गाड़ियों का आगमन	आर दशा में
1	डाउन गाड़ियों का आगमन	आर दशा में

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए सिगनल स्वीच को नार्मल करेगा और के०एल०सी०आर० में लगे बटन / स्विच को दबाकर चाबी पी को घुमाकर निकाल लेगा। इस चाबी पी को घुमाकर निकालने के बाद इसे लीवर लाक में लगे ई टाइप लाक में लगाकर घुमाएगा तथा बूम लाक लीवर को नार्मल करेगा और विन्च में लगे ई टाइप लाक में लगाकर चाब पी 1 को घुमाएगा तथा विन्च को उल्टी दिशा में संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

टिप्पणी—समपार पर सड़क यातायात को चेतावनी देने व अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए एवं गाड़ियों को निर्बाध पास करने के लिए गेट गुमटी के बाहर हूटर की व्यवस्था है। समपार पर भोजीपुरा साइड एवं देवरनिया साइड में समपार से 2.1 किमी० दूरी रेलपथ क्रमशः सीटी एवं डीटी तथा एटी एवं बीटी ट्रैक सर्किट की व्यवस्था है। यह व्यवस्था ऐसी है कि अप एवं डाउन गाड़ी के ट्रैक सर्किट पर आते ही हूटर बजने लगता है। समपार फाटक यदि खुला है तब भी तथा समपार फाटक गाड़ी आने के पहले यदि बन्द है तब भी दोनों ही परिस्थितियों में अप एवं डाउन ट्रैक पर गाड़ी आने से हूटर बजना शुरू कर देता है तथा यह तब तक बजता है जब तक कि गाड़ी समपार से गुजरने के पश्चात बूम लाक लीवर को रिवर्स स्थिति से नार्मल स्थिति में न कर दिया जाए। हूटर विफल होने की स्थिति में गेटमैन स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं० के आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचना देगा तथा स्टेशन मास्टर इस विफलता को ठीक करने के लिए जिम्मेदार एस एण्ड टी कर्मचारी को लिखित सूचना देगा।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :-

1. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** गाड़ी का लाइन क्लियर देने / लेने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी की संख्या, विवरण, दिशा तथा समपार से पास करने का सम्भावित समय की सूचना देगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा -

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन को सूचित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय/समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

3. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो -

1. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
2. जारी किये गये सतर्कता आदेश में लोको पायलट समपार फाटक की तरफ सीटी बजाते हुए सावधानीपूर्व आगे बढ़ने हेतु निर्देश दिया जाये।
3. जब **भोजीपुरा** की तरफ से आने वाली है तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

- 4 तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
- 5 यदि गेट सिगनल आन स्थिति में है तो पयलट गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
6. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'आल राइट' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'आल राइट सिगनल देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट गार्ड की सहायता लेगा।
- 7 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
- 8 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
- 9 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता -

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा हैं।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन से प्रत्येक बूम को बूम पोस्ट से बांध कर बूम को पैडलॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से एम०जी० या बी०जी० गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरा फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिरवायेगा।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** गेट के तरफ जाने वाली एम०जी० / बी०जी० गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. जब गाड़ी / **भोजीपुरा** के तरफ से आनी वाली है, तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली एम०जी०/बी०जी० गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

7. यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

1. जब गेट की चाबी विन्च से बाहर नहीं निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी किया जायेगा।
4. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ**, **स्टेशन मास्टर – भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब है। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-

1. यदि विन्च या गेट में गेट चाबी निकाल ली जाये तो गेटमैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ**, **स्टेशन मास्टर –भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

- 5 गेटमैन चेन एवं पैडलाक द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफिटिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 2.7 **गेट सिगनल की विफलता :-**
 - 1 गेटमैन निम्न परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को आफ नहीं करेगा
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट बन्द किये हुए आफ किया जा सके।
 - (ब) यदि चाबी गेट की खुली स्थिति में के०एल०सी०आर० से अथवा बूम लाक लीवर से बाहर निकाली जा सके।
 2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।
 3. गेट मैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान- प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
 4. उसके बाद गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार गाड़ियों का आगमन अथवा प्रस्थान किया जायेगा।
 5. गेटमैन गेट को चेन एवं पैडलाक से बन्द करने के बाद दिन में हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरा फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
 6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनिया** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
 7. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनियाँ**, **स्टेशन मास्टर - / भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट सिगनल खराब है। तब **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
 8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफिटिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
 9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 2.8 **समपार फाटक पर अवरोध -**
 1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफिटिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में कर देगा।
 2. गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनो तरफ ट्रैक पर इस उद्देश्य के लिये लगाये गये पोस्टों लगायेगा।

3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लूरोशिंग हैण्ड सिग्नल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित है, तथा रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली के सामान्य निर्देश के मद संख्या 1-5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ तब तक** गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे है।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनियाँ** को सूचित करेगा।
10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया एवं भोजीपुरा** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिग्नल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-देवरनिया** जिम्मेदार सिग्नल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल सिग्नल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** मद संख्या 2.8 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(आर०पी०मिश्रा)

(नानक चन्द)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मं०सि०दू०ई०/नि०/लखनऊ

मं०ई०/मु०/इज्जतनगर मं०सि०दू०ई०/इज्जतनगर

मं०परि०प्र०/सा०//इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ख'

स्टेशन मास्टर कार्यालय में रूट सेटिंग टाइप पैनल द्वारा कॉटो तथा संकेतो इत्यादि के संचालन का स्टेशन कार्यप्रणाली नियम **देवरनिया** स्टेशन का संकेतन परिशिष्ट।

1. प्रमुख विशेषताएं :-

- 1.1 नियमारेख संख्या –उपमुसिदूर्ई/नि/आई०जेड०एन०/2011/आर०डी०/07 दिनांक 16.9.2011 संशोधन 'बी' दिनांक 18.9.12
- 1.2 संकेतन आरेख संख्या – NER/IZN/BHI/SIP/2011/VER-ZERO/3 Alt ' B'
- 1.3 पैनल आरेख संख्या – उपमुसिदूर्ई/नि/आई०जेड०एन०/2011/पी०डी०/8 दिनांक 16.9.2011 Alt "B" दिनांक 18.9.12
- 1.4 स्टेशन की श्रेणी – बी
- 1.5 संकेतन का मानक – मानक –III
- 1.6 संकेतन का प्रकार – बहुसंकेती रंगीन बत्ती सिगनल व्यवस्था

17. विचलन :-

- साधारण एवं सहायक नियम 3.40(1)(b) के अन्तर्गत गाड़ियों के आगमन हेतु पर्याप्त दूरी सामान्यतया गाड़ियों के रूकने के स्थान से मापी गयी है। जैसा कि,
- (क) अप गाड़ी के लिए अप स्टार्टर सिगनल संख्या S-6 तथा S-8 क्रमशः लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये
- (ख) डाउन गाड़ी के लिए डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या S-7 तथा S-9 क्रमशः लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये

1.8 खण्ड का कार्य संचालन (Block Working)

- 1.8.1 इकहरी लाइन पर देवरनिया –भोजीपुरा स्टेशनों के मध्य डायडो टाइप सहकारी टोकनलैस ब्लाक उपकरण एक्सल काउन्टर के साथ
- 1.8.2 इकहरी लाइन पर देवरनिया –बहेड़ी स्टेशनों के मध्य डायडो टाइप सहकारी टोकनलैस ब्लाक उपकरण एक्सल काउन्टर के साथ

2. कॉटों तथा सिगनलों का विवरण

यार्ड में निम्नलिखित सिगनल व कॉटें प्रदत्त हैं। सिगनल कलर लाइट तथा विद्युत से प्रकाशित होते हैं। सभी कॉटें मोटर चालित हैं तथा सभी कॉटें एवं सिगनल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे डोमिनो कन्ट्रोल पैनल से प्रचालित होते हैं।

2.1 यार्ड का भोजीपुरा छोर :-

2.1.1 कॉटें :-

- (i) क्रास ओवर कॉटा संख्या 203A- 203B से लाइन संख्या 2 से 3 तथा 3 से 2 बनता है।
- (ii) क्रास ओवर कॉटा संख्या 204A- 204B से लाइन संख्या 2 से 1 तथा 1 से 2 बनता है।

2.1.2 संकेत –

(अ) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए-12

(ब) अप होम सिगनल संख्या S 12 - दो जंक्शन इंडिकेटरो सहित का विवरण-

- (i) अप होम सिगनल संख्या S 12 -(जं० इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन संख्या 2 के लिए

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

- (ii) अप होम सिगनल संख्या S 12 -(वाया जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए
(iii) अप होम सिगनल संख्या S 12 -(दाहिना जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 3 के लिए

लिए

- (स) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11
(द) डाउन प्रस्थान सिगनल का विवरण -

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 - मेन लाइन संख्या 2 से जाने के लिये
(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 - लूप लाइन संख्या 1 से जाने के लिये
(iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 - लूप लाइन संख्या 3 से जाने के लिये

(य) **अप कालिंग आन सिगनल संख्या -सी-10**

अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।

(र) **शंट सिगनल :-**

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-32 कांटा संख्या 204ए के बाहर स्वतंत्र खम्बे पर प्रदत्त है।	भोजीपुरा छोर से लाइन संख्या 1,2 एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-25 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से भोजीपुरा छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-27 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-7 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से भोजीपुरा छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-29 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-9 के नीचे उसी खम्बे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से भोजीपुरा छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।

2.2 **यार्ड का बहेड़ी छोर :-**

2.2.1 **काँटें :-**

- (i) कास ओवर काँटा संख्या 202A- 202B से लाइन संख्या 2 से 1 तथा 1 से 2 बनता है।
(ii) कास ओवर काँटा संख्या 201A- 201B से लाइन संख्या 2 से 3 तथा 3 से 2 बनता है।

2.1.2 **संकेत -**

(अ) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल ए-1

(ब) **डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - दो जंक्शन इंडिकेटरों सहित का विवरण-**

- (i) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 -(जं० इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन संख्या 2 के लिए
(ii) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 -(वाया जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 3 के लिए
(iii) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 -(दाहिना जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(स) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2

(द) **अप स्टार्टर सिगनल का विवरण-**

(i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या S 4 -मेन लाइन संख्या 2 से जाने के लिए

(ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या S 6 -लूप लाइन संख्या 1 से जाने के लिए

(iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या S 8 -लूप लाइन संख्या 3 से जाने के लिए

य) **डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या -सी-3**

डाउन कालिंग सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।

(र) **शंट सिगनल :-**

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-31 कांटा संख्या 204ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	बहेड़ी छोर से लाइन संख्या 1,2 एवं 3 में वापस आने हेतु
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-24 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-4 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से बहेड़ी छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-26 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-6 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से बहेड़ी छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-28 अप प्रधान सिगनल संख्या एस-8 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से बहेड़ी छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिए जाने हेतु।

3. **सिगनल आस्पैक्ट :-**

- 3.1 डिस्टेन्ट सिगनल के अतिरिक्त सभी मुख्य सिगनलों का नार्मल आस्पैक्ट लाल हैं। डिस्टेन्ट सिगनल का नार्मल आस्पैक्ट पीला है। डिस्टेन्ट सिगनल के आस्पैक्ट का परिवर्तन उसके आगे स्थित होम सिगनल के आस्पैक्ट के अनुसार स्वतः हो जाता है। डिस्टेन्ट सिगनल का आस्पैक्ट एक पीला, दो पीला तथा हरा है। डिस्टेन्ट सिगनल आन स्थिति में एक पीला, लूप लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये आफ होने पर दो पीला तथा मेन लाइन संख्या 2 के लिये आफ होने पर हरा जलता है। डिस्टेन्ट सिगनल के लिये पैनल पर कोई अलग से स्विच नहीं है।
- 3.2 एडवांस स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट हरा होता है। एडवांस स्टार्टर में हरे रंग का आस्पैक्ट होने का तात्पर्य यह है कि अगले स्टेशन को गाड़ी भेजने के लिये सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं तथा सम्बन्धित ब्लाक यन्त्र से लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है।
- 3.3 मेन लाइन के स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट हरा तथा लूप लाइन के स्टार्टरों का आफ आस्पैक्ट पीला है। स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट सम्बन्धित एडवांस स्टार्टर सिगनल के आफ आस्पैक्ट द्वारा नियन्त्रित हैं।

- 3.4 अप / डाउन होम सिगनल में तीन आस्पैक्ट लाल, पीला तथा हरा है जो रूट इंडिकेटर रहित अप / डाउन होम सिगनल को आफ करने पर केवल पीला आस्पैक्ट लाइन संख्या 2 पर आने का संकेत करता है। अप / डाउन होम सिगनल के पीले आस्पैक्ट के साथ-साथ रूट इंडिकेटर की सफेद बत्तियों का प्रकाश संकेत करता है कि गाड़ी का आगमन लूप लाइन संख्या 1 या 3 पर होगा। अप / डाउन होम सिगनल का हरा आस्पैक्ट मेन लाइन संख्या 2 के अप / डाउन स्टार्टर का हरा आस्पैक्ट अप / डाउन एडवॉस स्टार्टर का हरा आस्पैक्ट गाड़ी को स्टेशन से बिना रुके रन-थ्रू जाने का संकेत करता है।
- 3.5 शन्ट सिगनल संख्या 31 एवं 32 अनाश्रित पोजीशन लाइट शन्ट सिगनल हैं तथा अलग-अलग पोस्ट पर स्वतन्त्र रूप से लगे हैं। ये स्टेशन पैनल से अलग - अलग बटनों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। आन स्थिति में दो सफेद बत्ती क्षैतिज तल पर तथा आफ स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते हैं।
- 3.6 शन्ट सिगनल संख्या एस एच 24, एस एच 25, एस एच 26, एस एच 27, एस एच 28 एवं एस एच 29 आश्रित पोजीशन लाइट शन्ट सिगनल हैं जो स्टार्टर सिगनलो के नीचे उसी पोस्ट पर लगे हैं तथा स्टेशन पैनल से अलग -अलग बटनों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। ये आन की स्थिति में नो लाइट तथा आफ की स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते हैं।
- 3.7 कालिंग आन सिगनल का आन स्थिति में कोई आस्पैक्ट नहीं जलता है किन्तु आफ की स्थिति में एक छोटा पीला आस्पैक्ट जलता है।
- 3.8 यदि सम्बन्धित कॉटों की सही सैटिंग का इंडिकेशन न भी जलता हो तथा सिगनल आस्पैक्ट का नियमित इंडिकेशन मिल रहा हो तो यह समझा जाय कि कॉटा सही सैट एवं लाक है।

4. स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कक्ष में डोमिनो टाइप स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिसमें पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनल आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। कॉटों एवं सिगनलों के संचालन हेतु पैनल पर एक साथ दो पुश बटनों को दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन चाबी आदि का विवरण निम्न है :-

4.1 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल पर एक पैनल, रिलीज / लाक चाबी के साथ लगा होता है जो पाइन्ट एवं सिगनल आदि का अनाधिकृत संचालन रोकता है। जब तक पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक पाइन्ट एवं सिगनलों का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। परन्तु SM's Key निकली होने पर भी अगर कोई भी सिगनल आफ है तो सिगनल बटन के साथ EGGN बटन दबाने पर सिगनल को आफ स्थिति से आन स्थिति में किया जा सकता है। चाबी लगाकर घुमा देने के बाद पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल कन्ट्रोल चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो, या पैनल में लगी हो, सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों एवं सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अन्तिम संचालित स्थिति में अनवरत प्रकाशित होंगे।

4.2 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल पर स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारण वश रूट रिलीज नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल पर इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं EUUYN बटन को एक साथ दबाने पर रूट तुरन्त रिलीज हो जाता है तथा रूट के कॉटों संचालन के लिये मुक्त हो जाते हैं।

4.3 **पुश बटन** :- स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है –

4.3.1 **सिगनल / शन्ट सिगनल बटन** :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल एवं शन्ट सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटनों का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल / शन्ट सिगनल के निकट लगा है। सिगनल / शन्ट सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल / शन्ट सिगनल को आफ करना है उसका बटन तथा जिस लाइन पर गाड़ी लेना है अथवा भेजना है उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल / शन्ट सिगनल आफ हो जायेगा।

4.3.2 **रूट बटन** :-

पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 1 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस 12 को आफ करने के लिये सिगनल बटन संख्या एस 12 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रूट बटन संख्या 'बी' को एक साथ दबाने पर रूट सैट हो जायेगा और सिगनल आफ हो जायेगा। इसी प्रकार अप एडवॉस स्टार्टर संख्या एस 2 को आफ करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद सिगनल बटन संख्या एस 2 तथा रूट बटन संख्या 'ई' को एक साथ दबाने पर अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.3.3 **कॉटा बटन** :-

पैनल के दोनों सिरों पर कॉटों के संचालन के लिये प्रत्येक कॉटों के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। कॉटों को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस कॉटों का बटन तथा साथ में NWWN बटन एक साथ दबाना होगा। इसी प्रकार कॉटों को रिवर्स स्थिति में करने के लिये उस कॉटों का बटन तथा RWWN बटन को एक साथ दबाना होगा। सभी सिगनलों के लिये सिगनल बटन तथा रूट बटन दबाने से रूट सैट हो जायेगा। कॉटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को कालिंग आन सिगनल पर लेने के लिये एवं गाड़ी आगमन के बाद कॉटों को नार्मल / रिवर्स करने के लिये किया जायेगा। किया जायेगा।

4.3.4 **एन0डब्लू0डब्लू0एन0 / आर0डब्लू0डब्लू0 एन0 बटन** :-

कॉटों को अलग-अलग सैट करने हेतु कॉटे / क्रास ओवर का बटन तथा NWWN / RWWN बटन एक साथ दबाने पर कॉटा / क्रास ओवर नार्मल / रिवर्स स्थिति के लिये संचालित हो जाता है।

4.3.5 **कैन्क हैण्डिल, साइडिंग एवं गेट नियन्त्रण बटन एल0एन0 / वाई0 एन0 बटन** :-

कैन्क हैण्डिल सं0 सीएच-1 एवं सी एच-2 तथा गेट संख्या 14/C के नियन्त्रण हेतु अलग-अलग एल एन / वाई एन (Lock & Release) बटनों का प्रावधान है। एल एन बटन द्वारा कैन्क हैण्डिल / गेट लाक तथा वाई एन बटन द्वारा रिलीज होता है।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

4.3.6 ई0जी0 जी0 एन0 बटन :-

आफ किये गये सिगनलों को आफ से आन करने हेतु ई0जी0जी0एन0 बटन को सिगनल बटन के साथ दबाने पर सिगनल आफ स्थिति से आन स्थिति में हो जाता है।

4.3.7 जी0बी0 एन0 बटन :-

यह ग्रुप बटन है जिसका उपयोग क्रेन्क हैण्डिल एवं समपार फाटक नियन्त्रण हेतु प्रदत्त एल एन / वाई एन बटन को एक साथ दबाने में किया जाता है।

4.3.8 ई0 यू0 वाई0 एन0 बटन :-

आफ किये गये सिगनलों को आन करने के बाद रूट निरस्तीकरण के लिये ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित समयान्तराल के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।

4.3.9 ई0 डब्लू0 एन0 बटन :-

यह सील बन्द बटन है। पैनल पर पाइन्ट पोर्शन का कोई ट्रैक कॉटों की नार्मल या रिवर्स स्थिति में किसी कारणवश यदि लाल इंडिकेशन प्रदर्शित करता है तो इस स्थिति में कॉटों को संचालित करने के लिये इस बटन के साथ एन0डब्लू0डब्लू0एन0 / आर0डब्लू0डब्लू0एन0 को दबाने के पश्चात सम्बन्धित कॉटों के बटन को दबाकर कॉटों को नार्मल / रिवर्स स्थिति में किया जा सकता है। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्टेशन मास्टर सम्बन्धित प्वाइन्ट जोन की व्यक्तिगत रूप से जाँच करें कि ट्रैक साफ है या नहीं। यदि ट्रैक साफ है तो तभी इस बटन का प्रयोग किया जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि इस कार्य के लिये बनायी गयी पंजिका में की जायेगी।

4.3.10 ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन (आपात कालीन रूट निरस्तीकरण बटन) :-

यह एक सील बन्द बटन है। यदि किसी कारण वश रूट रिलीज नहीं होता है तब पैनल पर आपात कालीन रूट रिलीज चाबी लगाने के पश्चात ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने के बाद रूट तुरन्त रिलीज हो जाता है। रूट रिलीज करने के बाद इस बटन को पुनः ई0 एस0 एम0 द्वारा सील कर दिया जायेगा। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तथा इसकी प्रविष्टि स्टेशन डायरी में अवश्य करनी चाहिए।

4.3.11 जी0 यू0 डब्लू0 जी0 आर0 बटन (अभिस्वीकृति बटन) :-

पैनल पर यदि कोई कॉटा बटन, सिगनल बटन, रूट बटन या ग्रुप बटन दबा रह जाता है तब एक चेतावनी घन्टी बजने लगती है। चेतावनी घन्टी को बन्द करने हेतु इस बटन को दबाया जायेगा।

4.3.12 गेट नियन्त्रण बटन 551 गेट सं० 14/C के लिये :-

(क) स्टेशन पैनल पर समपार फाटकों के लिये अलग-अलग वाई0 एन0 तथा एल0 एन0 बटनों का प्रावधान है। गेट खोलने के लिये वाई0 एन0 तथा जी0बी0एन0 बटन एक साथ दबाने से पैनल पर रिलीज की लाल बत्ती जल जायेगी एवं गेट पर लगे लीवर लाक में फ्री बत्ती जल जायेगी तथा नियन्त्रण चाबी लीवर लाक से निकालकर गेट खोल दिया जायेगा। गेट बन्द करने के बाद फिर नियन्त्रण चाबी लीवर लाक में लगा दी जायेगी। पैनल पर लगे एल0 एन0 तथा जी0 बी0 एन0 बटन एक साथ दबाने से गेट नियन्त्रण चाबी लीवर लाक में लाक हो जायेगी और पैनल लाकड होने का सफेद इंडिकेशन जल जायेगा।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

4.3.13 गेट संख्या 14/C के लिये आपात कालीन चाबी :-

(ख) समपार फाटक संख्या 14/C पर विद्युतीय नियन्त्रण की विफलता के समय समपार फाटकों को खोलने के लिये आपात कालीन चाबी क्रमशः 'पी ई' का प्रावधान है। ये चाबियाँ स्टेशन मास्टर कार्यालय के पैनल रूम में लगे सील्ड एवं ताला बन्द केस में लगी पार्किंग एच०के०टी० में लगी रहती है। आपात कालीन चाबी बूम लाक लीवर को रिलीज करने के लिये परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है। इस चाबी के निकालने से आवागमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो जाते / रहते हैं। विफलता ठीक हो जाने पर ये चाबी पुनः पार्किंग एच०के०टी० में लगा दी जाती है तथा ग्लास केस सील्ड एवं ताला बन्द कर दिया जाता है।

4.3.13 साइडिंग नियंत्रण बटन एल०एन०/वॉ०एन० – :-

इस स्टेशन पर कोई साइडिंग नहीं है।

4.4 ट्रैक सर्किट सूचक सूक्ष्म प्रकाश बत्ती :-

रेलपथ परिपथ संख्या ए०टी, 12टी, ए०११टी, 203टी, 204बीटी, 203बीटी, 01एटी, 02एटी, 02टी, 03टी, 03एटी, 201टी, 202बीटी, 201बीटी, ए०२टी, 1टी एवं ए०३टी परिचालित लाइनों पर प्रदत्त ट्रैक सर्किटों के लिये पैनल पर ट्रैक सर्किटों के ऊपर प्रकाश पट्टियाँ (स्ट्रिप) का प्रावधान है जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने / खाली होने पर प्रकाशित नहीं होती हैं। जब कोई सिगनल 'आफ' किया जाता है तब उसके मार्ग में पड़ने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद प्रकाश पट्टियाँ प्रकाशित हो जाती हैं। जब गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर आती है तब प्रकाश पट्टियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। जब गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझ जाता है तथा सफेद प्रकाश जल जाता है।

ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये प्रकाश पट्टियाँ लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं। इस स्टेशन पर दोनों ओर होम सिगनल से होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल तक ट्रैक सर्किट की व्यवस्था की गयी है।

टिप्पणी :-

गाड़ी ट्रैक पर आने के बाद यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ है कि सूक्ष्म प्रकाश बत्ती फ्यूज हो गयी है। तब इसके मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जाँच करें कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को क्रियाशील समझा जाये। तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।

4.5 एक्सल काउन्टर का विवरण एवं कार्य प्रणाली :-

4.5.1 डिजिटल एक्सल काउन्टर एक ट्रैक सर्किटिंग उपकरण है जिसका उपयोग रेलवे में किसी रेल खण्ड के आक्यूपाइड / अन-आक्यूपाइड का मानिटर करने के लिये होता है। यह किसी निर्धारित रेल खण्ड पर गाड़ी की उपस्थिति को सूचित करता है। डिजिटल एक्सल काउन्टर के निम्नलिखित भाग हैं -

- (I) एक्सल काउन्टर
- (क) टी० एक्स० क्वाइल - 2 नम्बर
- (ख) आर०एक्स० क्वाइल - 2 नम्बर
- (II) एस०एस०डी०ए०सी० - 2 नम्बर
- (III) री-सैट बाक्स - 2 नम्बर

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

डिजिटल एक्सल काउन्टर दो यूनिट (1 जोड़ा) के संयोग से एक रेल खण्ड में कार्य करता है। इस कार्य प्रणाली का एक एस0एस0डी0ए0सी0 यूनिट खण्ड के दोनों छोर पर एक सैट टी0 एक्स0 क्वाइल एवं आर0एक्स0 क्वाइल एक्सल काउन्टर के साथ स्थापित किया जाता है। टी0 एक्स0 एवं आर0एक्स0 क्वाइल प्रत्येक लोकेशन के रेल के वेब में माउन्ट किया जाता है। सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि रेल ट्रैक के बाहरी ओर स्थापित हो। सिस्टम दोनों यूनिट को एक पेयर के रूप में सिंगिल रेल खण्ड को मानीटर करता है।

4.5.2 सिस्टम का मूल डिजाइन प्रत्येक डिटैक्शन पाइन्ट से गुजरने वाले एक्सल की गणना पर आधारित है। यह प्रत्येक डिटैक्शन पाइन्ट से गुजरने वाले एक्सल एवं कुल गणना को रजिस्टर करता है। यह संग्रह की हुई गणना दूसरे यूनिट को आधुनिक संचार द्वारा प्रेषित एवं प्राप्त की जाती है। सिस्टम का प्रत्येक यूनिट स्वयं की गयी गणना एवं दूसरे यूनिट द्वारा की गयी गणना की तुलना तथा खण्ड की स्थिति का मूल्यांकन करता है। संचार में डिजिटल गणना, स्थिति एवं कोई त्रुटि नहीं क्लीयरेंस का निर्णय करती है। यदि गणना दोनों डिटैक्शन पाइन्ट पर समान रहती है तो ब्लाक सैक्शन क्लीयर हरा अन्यथा आक्यूपाईड लाल रंग के रूप में प्रदर्शित करता है।

4.5.3 **एस0 एम0 री-सैट बाक्स :-** एस0एम0 री-सैट बाक्स में निम्नलिखित संकेत दिये गये हैं –

- सिस्टम की स्थिति जैसे लाइन क्लीयर (साफ), आक्यूपाई, रीसेट की प्रक्रिया एवं पावर आन संकेत।
- एस0एम0 चाबी एकचुएटर एवं रीसेट हेतु रीसेटिंग बटन।
- री-सैट की गणना हेतु गणक

4.5.4 **री-सैट करने की प्रक्रिया :-**

- री-सैट करने के लिये दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा निम्न विधि अपनायी जायेगी –
 - सर्वप्रथम एस0एम0 चाबी को दाहिने तरफ घुमाएं
 - साथ-साथ री-सैट बटन दबायें।
 - री-सैट बटन एवं एस0एम0 चाबी को एक साथ रिलीज कर दें।
 - एस0 एम0 चाबी को बाँये तरफ घुमाकर निकालकर स्टेशन मास्टर द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रख लिय जाय।

नोट- रीसेट करने की प्रक्रिया संलग्न स्टेशनो पर एक साथ की जायेगी।
- उपरोक्त मद संख्या (क) (ख) प्रक्रिया में री-सैट बाक्स, एस0 एस0 डी0 ए0 सी0 री-सैट किया जाता है और अपना गणना शून्य होकर दोनों यूनिट में स्वयं जाँच प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। एस0 एस0 डी0 ए0 सी0 री-सैट होने की प्रक्रिया प्राप्त करती है जिससे प्रीपेरेटरी री-सैट का एक हरा इंडिकेशन जलने लगता है।
- री-सैट होने के बाद वीडर काउन्टर एक उच्च संख्या लगभग 5 सेकेण्ड के अन्तराल पर दर्ज करेगा एवं गणक की संख्या को रिकार्ड किया जायेगा।
- (क) उपरोक्त पैरा 4.5.4 में दी गयी री-सैटिंग की प्रक्रिया अपनायी जाये।
- (ख) यदि दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा री-सैट करने के बाद एवं खण्ड में पहली गाड़ी पी0 एल0 सी0 पर रिसीव किया जाये।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

- (ग) लाइन क्लीय स्टेशन मास्टर द्वारा रीसेट करने के बाद एवं खण्ड में वहली गाड़ी पीएलसी पर गुजर जाने के बाद भी एक्सल काउन्टर लाल प्रदर्शित करता है तो निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये।
- (क) एक्सल काउन्टर की विफलता यदि 4 घण्टे से अधिक समय तक बनी हुई है तो सैक्शन इंजी० सिगनल को जॉच स्वयं करके एक्सल काउन्टर का डिस्कनेक्शन मीमों एस० एण्ड टी० / डी०एन० एनेक्सर-2 जारी करके कार्यरत स्टेशन मास्टर से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।
- (ख) दोनों छोर पर स्थित स्टेशन के स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त खण्ड में कोई गाड़ी नहीं है / गाड़ी का पूर्ण आगमन हो चुका है।
- (ग) ऐसा सुनिश्चित हो जाने के बाद एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर से इस आशय का मीमों प्राप्त होने पर सैक्शन इंजी० सिगनल स्वयं व्यवस्था करेंगे कि टोकेनलैस की कार्य प्रणाली (एक्सल काउन्टर को छोड़कर) कार्यरत रहे।
- (घ) उपरोक्त (क) में अंकित विफलता के दौरान एवं टोकेनलैस के ठीक होने तक (एक्सल काउन्टर को छोड़कर) खण्ड में दोनों छोर से पी० एल० सी० जारी रहेगी।
- (ङ) उपरोक्त स्थिति में सामान्य नियम 8.03 (2) एवं सहायक नियम 8.03 (i) से (iv) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सिगनल एवं मार्ग संकेत इंडिकेशन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये स्थल पर लगे सिगनल द्वारा दर्शायी गयी। ये इंडिकेशन सिगनल द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पैक्ट के अनुरूप लाल / हरे / पीले रंग की लघु प्रकाश इंडिकेशन (सूचक बत्ती) दर्शाते हैं। होम सिगनल पर लगे रूट इंडिकेटर के लिये पैनल पर एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित होकर होम सिगनल का लूप लाइन के लिये 'आफ' होना दर्शाती है। आश्रित शन्ट सिगनल जो प्रस्थान सिगनल के खम्बे पर स्थित है, उनके इंडिकेशन के लिये एक सफेद पट्टी 'आफ' स्थिति में प्रकाशित होगी। अनाश्रित शन्ट सिगनल जो स्वतन्त्र खम्बे पर स्थित है, की 'आन' स्थिति में एक सीधी लघु प्रकाश पट्टी तथा 'आफ' स्थिति में 45 डिग्री के कोण पर लघु सफेद पट्टी प्रकाशित होगी। कालिंग आन सिगनल के आस्पैक्ट का इंडिकेशन पैनल पर होम सिगनल के नीचे लघु पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। यह तभी प्रकाशित होता है तब कालिंग आन सिगनल 'आफ' किया जाता है।

5.1 कॉटा इंडिकेशन :-

मोटर चालित कॉटों / कास ओवर कॉटों के संचालन हेतु दिये गये बटन के ऊपर नार्मल स्थिति में सफेद तथा रिवर्स स्थिति में लघु सफेद प्रकाश पट्टी का प्रावधान है। कॉटों / कास ओवर कॉटों की स्थिति के अनुसार ये इंडिकेशन अनवरत प्रकाशित रहेंगे। जब कॉटों / कास ओवर कॉटों संचालित होते हैं तब वॉछित स्थिति का इंडिकेशन जलता-बुझता (फ्लैश) करता है जब तक कि कॉटा सैट एवं लाक नहीं हो जाता है। जैसे कि जब कॉटा नार्मल स्थिति से रिवर्स स्थिति में संचालित होता है तब नार्मल इंडिकेशन बुझ जाता है और रिवर्स का सफेद इंडिकेशन जलने बुझने लगता है। कॉटे के रिवर्स में सैट एवं लाक हो जाने पर रिवर्स का सफेद इंडिकेशन लगातार जलने लगता है।

नोट :- मोटर कॉटों पर नान-सिगनल मूवमेन्ट के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह मोटर कॉटे को नार्मल या रिवर्स में चलाकर उसकी जाँच कर ले तथा उनके सम्बन्धित इंडिकेशनों को पैनल पर सुनिश्चित कर ले तथा इसकी जाँच की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करे।

5.3 बटन हैल्ड इंडिकेशन :-

पैनल पर जब कोई पुश बटन दबा रह जाता है तब ये इंडिकेशन प्रकाशित हो जाते हैं।

5.3.1 सिगनल बटन हैल्ड इंडिकेशन (GNCKE) :-

कोई सिगनल बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.2 कॉटा बटन हैल्ड इंडिकेशन (WNCKE) :-

कोई कॉटा बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.3 रूट बटन हैल्ड इंडिकेशन (UNCKE) :-

कोई रूट बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.4 ग्रुप बटन हैल्ड इंडिकेशन (GR (N) CKE) :-

कोई ग्रुप बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.5 ई0 यू0 वाई0 एन0 बटन हैल्ड इंडिकेशन (EUYKE) :-

कोई ई0यू0वाई0 एन0 बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

5.3.6 ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन हैल्ड इंडिकेशन (EUUYKE) :-

कोई ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.7 जी0 / यू0 / डब्लू0 / जी0 आर0 इंडिकेशन (G/ U / W/ GR) :-

कोई सिगनल, कॉटा, रूट तथा ग्रुप बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है तथा बटन हैल्ड अलार्म बनजे लगता है जिसे बन्द करने हेतु जी0 / यू0 / डब्लू0 / जी0 आर0 एकनालेज (अभिस्वीकृति) बटन दबाने पर अलार्म बन्द हो जाता है परन्तु यह इंडिकेशन तब तक प्रकाशित रहता है जब तक कि दबे बटन को ठीक न कर दिया जाये।

उपरोक्त इंडिकेशन जलने तथा अलार्म बजने पर स्टेशन मास्टर द्वारा बटन को ऊपर खींचकर तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए। यदि फिर भी अलार्म बजना बन्द नहीं होता है तो सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।

5.3.8 लाक लाइट इंडिकेशन :-

पैनल पर कॉटों के ट्रैक सर्किट पर कॉटों के फेसिंग में लघु सफेद बत्ती का प्रावधान है, जिसके प्रकाशित होने का अर्थ है कि कॉटा विद्युतीय रूप से लाक है तथा संचालित नहीं किया जा सकता है। यह लघु सफेद बत्ती लाक लाइट कहलाती है।

5.3.9 पैनल लाक / रिलीज इंडिकेशन :-

स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी के ऊपर पैनल लाक / रिलीज के लिये लाल / सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। जब पैनल से चाबी निकालने हेतु घुमाया जाता है तब पैनल लाक का लाल इंडिकेशन प्रकाशित होता है तथा पैनल में चाबी लगाकर घुमा देने पर रिलीज का सफेद इंडिकेशन जलता है। पैनल के रिलीज स्थिति में पैनल द्वारा कॉटों तथा सिगनलों का संचालन सम्भव है।

5.3.10 कैंक हैण्डल , साइडिंग एवं समपार फाटकों का लाक / रिलीज इंडिकेशन :-

कैंक हैण्डल सी0 एच0 1 एवं सी0 एच0 2, तथा समपार फाटकों के वाई0 एन0 / एल0 एन0 बटनों के ऊपर रिलीज स्थिति में लाल तथा लाक में सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है।

5.3.11 एफ0 आर0 के0 ई0 इंडिकेशन :-

पैनल के ऊपर दाहिने कोने पर यह इंडिकेशन लगातार जलता बुझता है तथा यह सूचित करता है कि फ्लैशिंग उपकरण ठीक अवस्था में है अन्यथा सिगनल विभाग के अनुरक्षण कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।

5.3.12 ओवरलैप इंडिकेशन :-

प्रत्येक स्टार्टर सिगनल के निकट ओवर लैप इंडिकेशन हेतु सफेद लघु बत्ती का प्रावधान है। जिस लाइन के लिये होम सिगनल 'आफ' किया जाता है, उसके ओवर लैप में यह लघु सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है साथ ही ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित हो जाती है। गाड़ी के बर्थिंग ट्रैक पर आगमन के पश्चात निर्धारित समयान्तराल तक यह यह इंडिकेशन जलता बुझता रहता है। इसके बुझ जाने पर ओवर लैप के कॉटों संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।

5.3.13 रूट लाक इंडिकेशन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के पास उस सिगनल के रूट लाक इंडिकेशन का प्रावधान किया गया है। जब सिगनल को 'आफ' किया जाता है तब उस सिगनल का रूट लाक इंडिकेशन सफेद प्रकाशित हो जाता है। सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता बुझता है एवं उसके बाद बुझ जाता है।

5.3.14 120 एन जे के ई इंडिकेशन :-

पैनल पर दोनों छोरों पर एक-एक सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। किसी गाड़ी के पूर्ण आगमन या सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता बुझता है एवं उसके बाद बुझ जाता है। इसके बुझ जाने के बाद कॉटों प्रचालन हेतु मुक्त हो जायेंगे।

6. रिमाइन्डर कालर :-

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइन्डर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या कॉटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इन बटनों को संचालित नहीं करना है।

7. क्रेन्क हैण्डिल :-

7.1 मोटर चालित कॉटों की विफलता में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रेन्क हैण्डिल द्वारा कॉटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दो क्रेन्क हैण्डिल चाबी सी0 एच0 1 तथा सी0 एच0 2 का प्रावधान है। क्रेन्क हैण्डिल निकालने की विधि निम्न प्रकार है -

- (i) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल चाबी का वाई0 एन0 एवं जी0 बी0 एन0 बटन एक साथ दबायेंगे।
- (ii) विद्युत कॉटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूरी होती हैं तो पैनल पर क्रेन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रण चाबी को धीरे से घुमाकर निकाल लेंगे।
- (iii) इस परिशिष्ट के मद संख्या 7.3 में वर्णित विधि से कॉटों का संचालन किया जायेगा तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को पुनः क्रेन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत स्थिति में घुमा दिया जाय।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी का एल0 एन0 एवं जी0 बी0 एन0 बटन एक साथ दबाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी लाक हो जायेगी तथा क्रेन्क हैण्डिल के एल0 एन0 बटन के ऊपर क्रेन्क हैण्डिल चाबी लाक होने का इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।

7.2 क्रेन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है -

7.3

क्रेन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटे
सी0 एच0 1	201A - 201B, 202A - 202B
सी0 एच0 2	203A - 203B, 204A - 204B

7.3 कॉटा मशीन के आपात कालीन संचालन की प्रक्रिया :-

जिन कॉटों पर मोटर कॉटा मशीन लगी है, उनका क्रैन्क हैण्डिल द्वारा संचालन करने की विधि निम्न प्रकार है -

- (क) सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7.1 में वर्णित विधि के अनुसार क्रैन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी निकालें। स्टेशन मास्टर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी गयी मोटर पाइन्ट मशीन के ढक्कन की व ढक्कन के अन्दर के ताले की चाबियाँ एवं क्रैन्क हैण्डिल लेकर मोटर पाइन्ट मशीन पर जाये।
- (ख) मोटर पाइन्ट मशीन पर क्रैन्क हैण्डिल लगाने हेतु बने छिद्र पर के ढक्कन में लगे ताले को खोलें।
- (ग) ढक्कन को हटाकर चाबी लगाकर घुमा दें ताकि क्रैन्क हैण्डिल जाने के लिये साकेट में जगह बन जाये। इस कार्यवाही से मोटर पाइन्ट मशीन से बिजली की सप्लाई भी कट जाती है।
- (घ) क्रैन्क हैण्डिल को साकेट में डालकर सीधा या उल्टा आवश्यकतानुसार घुमाएं। पाइन्ट स्विच के एक तरफ से दूसरे तरफ सैट हो जाने के बाद भी क्रैन्क हैण्डिल को तब तक चलाते रहना चाहिए जब तक पाइन्ट पूर्ण रूप से सैट होकर लाक न हो जाय।
- (ङ) कार्य पूर्ण होने के बाद क्रैन्क हैण्डिल को निकाल कर चाबी घुमाकर बाहर निकाल लें ताकि पाइन्ट मशीन बिजली सप्लाई द्वारा चलाई जा सके। क्रैन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को स्टेशन मास्टर कार्यालय में सम्बन्धित लाक में लगा दें।
- (च) पैनल पर सम्बन्धित क्रैन्क हैण्डिल के स्विच को लाक स्थिति में घुमा दें जिससे ऊपर लगी हुई सफेद लघु बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। इस कार्यवाही से पाइन्ट मशीन पैनल द्वारा संचालन होने योग्य हो जायेगी।

नोट :- प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कॉटों को हाथ से प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता / परीक्षण	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत सं०	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैन्क हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं सम	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (छ) सिगनल विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों को अनुरक्षण अथवा टेस्टिंग के लिये क्रैन्क हैण्डिल देते समय उनसे सम्बन्धित पाइन्ट का डिस्कनेक्शन मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- (ज) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से री-कनेक्शन मेमो क्रैन्क हैण्डिल के साथ प्राप्त होने पर नार्मल कार्य प्रणाली अपनायी जाये।
- (झ) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का संचालन साधारण नियम 3.69 (1), (3) एवं सहायक नियम 3.70 (1), (2) में उल्लिखित नियमानुसार किया जाय।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

8 वीडर काउन्टर :-

पैनल पर निम्नलिखित छः वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (EUUYN)
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (EUYN)
3. कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर
4. आपात्कालीन सिगनल रिप्लेसमेन्ट के लिये वीडर काउन्टर (EGGN)।
5. कैंक हैण्डल संयुक्त वीडर काउन्टर
6. आपात्कालीन कौटा संचालन के लिये वीडर काउन्टर (EWN)
7. टोकनलैस वीडर गणक (प्रत्येक टोकनलैस ब्लाक यंत्र में)
8. एक्सल काउन्टर रीसेट वीडर गणक (प्रत्येक रीसेट बाक्स में)

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च डिजिटल संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। हर बार जब वीडर काउन्टर का उपयोग किया जाय तो वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी संख्या को टी0एस0आर0 रजिस्टर में इन्दराज किया जाय और कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी तथा वीडर काउन्टर रजिस्टर में सुनिश्चित किया जाय।

9. गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान / कासिंग :-

- (i) इस स्टेशन पर गाड़ियों के साथ आगमन की अनुमति है।
- (ii) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके कासिंग की अनुमति है। गाड़ियों के साथ-साथ आगमन की अनुमति निम्न प्रकार है :-

(क) अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन

और

अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(ख) अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन

और

अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 1 से प्रस्थान

(ग) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन

और

डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(घ) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन

और

डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 1 से प्रस्थान

नोट :- अप व डाउन गाड़ियों लाइन सं० 2 से रन थू जायेगी। लाइन सं० 1 व 3 से प्रतिबन्धित गति से जा सकती है।

5. दूर संचार :- स्टेशन मास्टर देवरनिया के कार्यालय में :-

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) देवरनिया तथा भोजीपुरा स्टेशन के टोकनलैस ब्लाक यंत्र से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- iv) देवरनिया तथा बहेड़ी स्टेशन के टोकनलैस ब्लाक यंत्र से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रफिक समपार फाटक सं० 14/सी से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- vi) इंजी०समापार 10/सी (देवरनिया-भोजीपुरा) के मध्य स्थित के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- vii) इंजी०समापार 9 /ए (देवरनिया-भोजीपुरा) के मध्य स्थित के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- viii) वी०एच०एफ० सैट 25 वाट।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

10. **कॉटे, सिगनल तथा रूट बटन के संचालन की तालिका :-**

क्र०सं०	गड़ी संचालन	प्रचालित किये जाने वाले कॉटा बटन		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	गेट बन्द करें
		नार्मल	रिवर्स			
1	अप गाड़ियों का भोजीपुरा से आगमन					
(क)	लाइन सं० 1 पर डैड एण्ड बनाकर	201, 203	204	एस 12	बी	—
(ख)	लाइन सं० 1 पर मेन लाइन बनाकर	201, 203	202, 204	एस 12, एस 6,	बी, एफ	14
(ग)	लाइन सं० 2 पर	201,202,203,204	—	एस 12	ए	14
(घ)	लाइन सं० 3 पर डेड एण्ड बनाकर	201, 204	203	एस 12	सी	—
(ङ)	लाइन सं० 3 पर मेन लाइन आगमन	202, 204	201,203...	एस 12 एस 8	सी एफ,	14
(च)	अप गाड़ी का लाइन सं० 2 से रन-थ्रू	201,202, 203, 204	एस 2, एस 4, एस 12,	ई एफ ए	14
2	डाउन गाड़ियों का बहेड़ी से आगमन					
(क)	लाइन सं० 1 पर डैड एण्ड बनाकर	201, 204	202	एस 1	बी	14
(ख)	लाइन सं० 1 पर मेन लाइन बनाकर	201, 203	202,204	एस 1 एस 7	बी, जी,	14
(ग)	लाइन सं० 2 पर	201,202, 203 204	—	एस 1	ए	14
(घ)	लाइन सं० 3 पर डेड एण्ड लाइन बनाकर	202,203,	201	एस 1	सी	14
(ङ)	लाइन सं० 3 पर मेन लाइन आगमन	202, 204	201, 203.	एस 1, एस-9	सी जी	14
(च)	डाउन गाड़ी का लाइन सं० 2 से रन-थ्रू	203, 204	एस 11, एस 5, एस 1	एच, जी, ए	14
3	अप गाड़ी का बहेड़ी को प्रस्थान					
(क)	लाइन सं० 1 से	201	204	एस 2, एस 6	ई, एफ	14
(ख)	लाइन सं० 2 से	201, 202	...	एस 2, एस 4	ई, एफ	14
	लाइन सं० 3 से	202	201	एस 2, एस 8	ई, एफ	14
4	डाउन गाड़ी का भोजीपुरा को प्रस्थान					
(क)	लाइन सं० 1 से	203	204	एस 11, एस 7,	एच, जी	—
(ख)	लाइन सं० 2 से	203,204	एस 11, एस 5,	एच, जी	—

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

क्र०सं०	गाड़ी संचालन	प्रचालित किये जाने वाले कोटा बटन		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	गेट बन्द करें
		नार्मल	रिवर्स			
(ग)	लाइन सं० 3 से	204	203	एस 11, एस 9,	एच, जी	—
5	अप शन्ट सिगनल सं० एस एच 32 से					
(क)	लाइन सं० 1 पर	—	204	एस एच 32	बी	—
(ख)	लाइन सं० 2 पर	204, 203	—	एस एच 32	ए	—
(ग)	लाइन सं० 3 पर	204	203	एस एच 32	सी	—
6	डाउन शन्ट सिगनल सं० एस एच 31 से					
(क)	लाइन सं० 1 पर	201	202	एस एच 31	बी	14
(ख)	लाइन सं० 2 पर	201, 202	..	एस एच 31	ए	14
(ग)	लाइन सं० 3 पर	—	201	एस एच 31	सी	14
7	बहेड़ी की ओर से अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक अप शंटिंग					
(क)	लाइन सं० 1 के शन्ट सिगनल सं० एस एच 26 से	201	202	एस एच 26	एफ	14
(ख)	लाइन सं० 2 के शन्ट सिगनल सं० एस एच 24 से	201, 202	—	एस एच 24	एफ	14
(ग)	लाइन सं० 3 के शन्ट सिगनल सं० एस एच 28 से	201	एस एच 28	एफ	14
8	भोजीपुरा की ओर से डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 तक डाउन शंटिंग					
(क)	लाइन सं० 1 के शन्ट सिगनल सं० एस एच 27 से	—	204	एस एच 27	जी	—
(ख)	लाइन सं० 2 के शन्ट सिगनल सं० एस एच 25 से	—203, 204	...	एस एच 25	जी	—
(ग)	लाइन सं० 3 के शन्ट सिगनल सं० एस एच 29 से	204..	203	एस एच 29	जी	—
9	अप गाड़ी का कालिंग आन सिगनल संख्या सी- 10 पर आगमन					
(क)	लाइन सं० 1 पर	203	204	सी 10	बी	—
(ख)	लाइन सं० 2 पर	203, 204	...	सी 10	ए	—
(ग)	लाइन सं० 3 पर	204	203	सी 10	सी	—
10	डाउन गाड़ी का कालिंग आन सिगनल सी-3 पर पर आगमन					
(क)	लाइन सं० 1 पर	201	202	सी 3	बी	14
(ख)	लाइन सं० 2 पर	201, 202	...	सी 3	ए	14
(ग)	लाइन सं० 3 पर	202	201	सी 3	सी	14

12. इकहरी लाइन के लिये डायडो टाइप टोकनलैस ब्लाक उपकरण की बनावट का विवरण

इस उपकरण की बनावट का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1 **गैलावनोस्कोप -**
यह अपने तथा जाने वाली डी0सी0 धारा के कारण विचलित होता है। जब दोनों ओर के किसी भी स्टेशन मास्टर द्वारा बटन दबाया जाता है तो इसकी सुई विचलित होती है।
- 2 **समय समाप्ति सूचक -**
यह उपकरण के सामने बाँयी ओर लगा होता है। लाइन क्लीयर निरस्तीकरण के समय साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल की सूचना देता है। सामान्यतया यह सूचक सफेद पट्टी पर लाकड लिखा रहता है और साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल के बाद खत्म (हरी पट्टी पर) लिखा हुआ आता है।
- 3 **स्विच एस ए 1 -**
धातु का बना यह स्विच लाइन के निरस्तीकरण के लिये उपयोग किया जाता है जब गाड़ी ब्लाक खण्ड में ना पहुँची हो।
- 4 **स्विच एस ए 2 -**
धातु का बना यह स्विच पुश बैक मूवमेन्ट के दौरान होम सिगनलों को आफ करने के लिये प्रयुक्त होता है तथा गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर वापिस लिया जाता है।
- 5 **टी0ओ0एल0 सूचक -**
यह उपकरण के सामने दाँयी ओर लगा रहता है। सामान्यतया यह सफेद रंग की पट्टी के रूप में रहता है और जैसे ही गाड़ी ब्लाक खण्ड में प्रवेश करती है तो लाल रंग की पट्टी में 'ट्रेन आन लाइन' प्रदर्शित करता है।
- 6 **पुश बटन पी0बी0 1 -**
धातु की घुण्डी के रूप में यह बटन घण्टी कोड देने के लिये प्रयुक्त होता है और आटो टी0ओ0 एल0 संकेतन को गाड़ी आगमन स्टेशन के द्वारा एकनालेज करने में प्रयुक्त होता है।
- 7 **ब्लाक हैण्डिल -**
यह धातु का हैण्डिल उपकरण के सामने की ओर लगा रहता है। इसका हत्था ऊपर की ओर लाइन क्लोज्ड पोजीशन (एन) प्रदर्शित करता है। गाड़ी ब्लाक खण्ड में जा रही है (एल) प्रदर्शित करता है। गाड़ी आ रही है (आर) प्रदर्शित करता है।
- 8 **पुश बटन पी0 बी0 11 -** पी0 बी0 1 के साथ दबाने पर कोड भेजता है।
- 9 **सिंगिल स्ट्रोक बेल -**
धातु की यह घन्टी उपकरण के ऊपर लगी रहती है। जब दूसरा स्टेशन बेल कोड भेजता है तो इसकी हथौड़ी इससे टकराकर घन्टी की आवाज देती है।
- 10 **स्टेशन मास्टर चाबी -**
जब यह नहीं लगी रहती है तब उपकरण के सारे कार्य बन्द हो जाते हैं। केवल दूसरे स्टेशन के द्वारा बजायी गयी घन्टी बजती है तथा टी0 ओ0 एल0 कोड भेजा जाता है।
- 11 **शॉटिंग चाबी -**
यह ब्लाक उपकरण में लगी रहती है तथा यह केवल तभी निकाली जा सकती है जब ब्लाक उपकरण का हैण्डिल नार्मल स्थिति में होता है या ट्रेन गोइंग टू स्थिति में होती है। यह चाबी तभी निकाली या लगायी जा सकती है जब स्टेशन मास्टर चाबी लगी हो तथा घुमी हुई हों।
- 12 **काउन्टर्स (गणक)-**
काउन्टर एक और काउन्टर दो केवल स्विचों (एस 1 तथा एस 2) के कार्य की गणना करता है।
- 13 **टेलीफोन (एच0एम0टी0)-**
यह उपकरण के दाँयी ओर बातचीत करने के लिये लगा होता है तथा इसमें दबाने वाला बटन लगा होता है।

इकहरी लाइन पर सहकारी टोकनलैस ब्लाक यन्त्र को संचालित करने की पध्दति :-(क) **‘ए’ स्टेशन से ‘बी’ स्टेशन पर गाड़ी भेजने की प्रक्रिया -**

स्टेशन ‘ए’		स्टेशन ‘बी’	
	ब्लाक उपकरण ‘लाइन क्लोज्ड’ स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल ‘आन’ की स्थिति में होंगे		ब्लाक उपकरण ‘लाइन क्लोज्ड’ स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल ‘आन’ की स्थिति में होंगे
1	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये ओर घुमाइये		
2	पी0 बी0 1 से ध्यान आकर्षित करिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों	3	ध्यानाकर्षण (काल अटैन्शन) का प्रति उत्तर दीजिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों
		4	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये ओर घुमाइये
		5	पी0 बी0 1 को दबाकर बेल कोड का प्रति उत्तर दें
6	बेल कोड सिगनल का प्रति उत्तर प्राप्त करें		
7	टेलीफोन अटैण्ड करें	8	टेलीफोन कोड प्राप्त करें तथा टेलीफोन पर बात करें
9	टेलीफोन पर बात करके लाइन क्लीयर पूछिये	10	लाइन क्लीयर सम्बन्धी पूछताछ का जवाब दें
11	पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबाकर लाइन क्लीयर मॉगिये	12	बात होने के बाद एक के बाद बटनों को दबाये जाने के बाद गैल्वो की सुई को देखते हुए हैण्डिल को धीरे-धीरे टी0सी0एफ0 की तरफ घुमायें
13	गैल्वो की सुई में हल्का झटका देखने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें	14	अब आप पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
15	हैण्डिल को धीरे-धीरे टी0जी0टी0 स्थिति में लायें	16	गैल्वो की सुई को देखते रहें तथा हल्का सा हिलने पर पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें
17 क	अन्तिम रोक सिगनल को आफ करें		
ख	ब्लाक खण्ड में गाड़ी प्रवेश करती है।		
ग	अन्तिम रोक सिगनल स्वतः आन हो जाता है तथा डिपार्चर बजर बोलेगा	18	टी0ओ0एल0 संकेतन बजने / दिखने पर पी0बी0 1 एकनालेज करें
19	टी0ओ0एल0 बजर बन्द हो जायेगा	20	टी0ओ0एल0 बजर बन्द हो जायेगा

		21 क	आगमन सिगनलों को आफ करें
		ख	गाड़ी स्टेशन पर प्रवेश करती है।
		ग	प्रथम रोक सिगनल आन की स्थिति में लौट आता है
		घ	गाड़ी के आगमन पर बजर बजने लगता है जिसे आगमन एकनालेज बटन दबाकर शान्त करें
		22	पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को दबाकर गाड़ी आगमन तथा ब्लाक सैक्शन क्लीयर की सूचना दें
23	ब्लाक यन्त्र के हैण्डिल को धीरे-धीरे लाइन क्लोज्ड स्थिति में लाइये	24	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें
25	पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 बटनो को दबायें	26	हैण्डिल को धीरे-धीरे क्लोज्ड स्थिति में लायें
27	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें		

(ख) **ब्लाक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लीयर निरस्त करने की प्रक्रिया :-**

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रधान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते है।		ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रधान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते है।
1	पी0 बी0 1 दबाकर स्टेशन 'बी' को बुलायें तथा लाइन क्लीयर निरस्तीकरण की बात करें।	2	टेलीफोन पर विस्तार से बात करें
3 क	स्टेशन मास्टर की कुन्जी लगाकर घुमाइये		
ख	स्विच एस 1 को घुमाएं		
ग	काउन्टर गणक अगली संख्या अंकित करता है		
घ	दो मिनट के समय अन्तराल के बाद फ्री इंडिकेशन जलेगा। पी0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें	4	घन्टी सुनने के बाद गैल्वो को देखते हुए हैण्डिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लायें
		5	हैण्डिल नार्मल होने के बाद पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
6	हैण्डिल को टी0जी0टी0 से नार्मल में लायें तथा एस 1 को नार्मल करें		

(ग) यदि किसी गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर ही वापस लौटना है तब ब्लाक उपकरण को सामान्य करने की प्रक्रिया :-

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रथान तथा लाइन पर गाड़ी है		ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन तथा लाइन पर गाड़ी है।
1	एस 2 स्विच घुमाइये		
2	काउन्टर पर अगला नम्बर देखें		
3	आगमन संकेतक आफ करें तथा गाड़ी आगमन पर आगमन संकेतक स्वतः आन हो जायेगा। आगमन बजर को सुनें		
4	गाड़ी आगमन की सूचना पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 दबाकर भेजें	5	घन्टी सुनने के बाद हैण्डिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लायें
		6	पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
7	एस 2 को नार्मल करें तथा ब्लाक उपकरण हैण्डिल को नार्मल करें		

(घ) अन्तिम रोक सिगनल तथा विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य शन्टिंग की प्रक्रिया :

स्टेशन "ए"	स्टेशन "बी"
ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" की स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" की स्थिति में हो।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क) शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये (ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने के बाद ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को वापस कर देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को उसके स्थान पर लगा दिया जाता है।	

(ङ) अन्तिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य जाने वाली गाड़ी के पीछे जब ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान का संकेत दे रहा हो तब शन्टिंग करने की प्रक्रिया :-

स्टेशन "ए"	स्टेशन "बी"
ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान की स्थिति तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रहा है।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क) शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये।	

(ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
स्थिति-1 : यदि शन्टिंग कार्य गाड़ी पहुँचने से पहले समाप्त हो जाता है :	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी ब्लाक उपकरण में लगायें	4. स्टेशन 'ए' से फोन द्वारा सूचना प्राप्त करें
स्थिति-2 : यदि शन्टिंग कार्य समाप्त होने के पहले ही गाड़ी पहुँच जाती है और स्टेशन "बी" ब्लाक उपकरण पर लाइन क्लोज्ड करने में असमर्थ हो जाता है, तथा स्टेशन "ए" की शन्टिंग चाबी बाहर रहने की स्थिति में	
	1 स्टेशन 'ए' से टेलीफोन पर बात करके वस्तु स्थिति की जानकारी लें
2.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को ब्लाक उपकरण में लगायें	
(ग) स्टेशन 'बी' को शन्टिंग समाप्त होने की सूचना दे	3.(क) टेलीफोन पर शन्टिंग समाप्त होने की अभिस्वीकृति दीजिये।
	(ख) ब्लाक उपकरण को लाइन क्लोज्ड स्थिति में कर दे।

13 क्लर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था :

- (1) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाय सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगें। आई०पी०एस० की मानिट्रिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिसमें निम्न सूचनाएं प्रकाशित होंगी :-
- (2) सामान्यतया छः हरी बत्ती दो पीली, तथा दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियों बुझी रहती हैं।
 - (2.1) छः हरी बत्ती आई०पी०एस० की बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट तक होने पर जलती हैं, जो कि बैट्री वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती है जाती हैं।
 - (2.2) बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु अलार्म बजता है। इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिए।
 - (2.3) जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनों पीली बत्तियों बुझती हैं तथा आपात कालीन जनरेटर स्टार्ट अलार्म बजता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।
 - (2.4) जनरेटर स्टार्ट करने के लिये जनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जनरेटर के हैण्डल के माध्यम से डी०जी०सैट चलाया जायेगा।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/48

देवरनिया

3. इस स्टेशन पर सम्पूर्ण सिगनल व्यवस्था आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति के विफल होने पर विफलता के कारणों को दूर कर पुनः सामान्य किया जा सकता है।
- (क) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्ज ओवर स्विच 'ए' जो सामान्य स्थिति में सदैव कमर्शियल पावर सप्लाई की तरफ लगा रहता है, को जनरेटर साइड में लगा देंगे।
- (ख) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जनरेटर संख्या 1 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे है। जनरेटर कक्ष में जनरेटर चेन्ज ओवर स्विच 'बी' लगा है जो सामान्य बीच में रहता है, जनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुए जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (ग) सामान्यतया स्टेशन मास्टर स्टैण्डबाई जनरेटर संख्या 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर संख्या 2 का प्रयोग किया जायेगा।
- (घ) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4 - 4 घन्टा के अन्तराल में बदल-बदल कर चलायें।
4. जब कमर्शियल सप्लाई आ जाय तो स्विच 'ए' को कमर्शियल साइड की तरफ बदल कर लगा दें और स्विच 'बी' को मध्य स्थिति में कर दें तथा जनरेटर को बन्द कर दें।
5. जब जनरेटर में डीजल आयल भरा जाय तो स्टेशन मास्टर डीजल आयल पंजिका इसका इन्दराज तुरन्त करें। स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर के उपयोग का इन्दराज लाग बुक में अवश्य करें।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता / उपलब्धता का इन्दराज लाग बुक में निम्न प्रकार से करें।

प्रारूप

- (क) **व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :**

क्रम संख्या	दिनांक	गाड़ी संख्या	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग			टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	चालू करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ख) **डीजल का उपयोग :**

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल आयल की कुल खपत	शेष डीजल आयल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

7. **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-**

आई०पी०एस०मानिटरींग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखें एवं सूचकों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगें एवं रिले अकार्यशील हो जायेगी।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

9. **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि :-**

आई०पी०एस० के विफल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाड़ी का परिचालन करने से पहले यह भलिभाँति सुनिश्चित कर लें कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाड़ी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।

14. **कालिंग आन सिगनल :-**

कालिंग आन सिगनल होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। जब कभी होम सिगनल विफल हो जाये या मार्ग अथवा ओवर लैप का ट्रैक सर्किट (होम सिगनल के रिप्लेसर ट्रैक सर्किट को छोड़कर) विफल हो जाये तब इसे आफ किया जाता है। कालिंग आन सिगनल को आफ करने के लिये पैनल द्वारा कॉटों को अलग-अलग सैट किया जायेगा। इसके उपरान्त कालिंग आन सिगनल का सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर कालिंग आन सिगनल 60 सेकेण्ड के बाद आफ हो जायेगा। कालिंग आन सिगनल आफ करने के लिये यह भी आवश्यक है कि यदि चालक गाड़ी को कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर नहीं खड़ी करता है तो स्टेशन मास्टर चालक को बी०जी० की अप गाड़ी के लिये ए10T एवं डाउन गाड़ी के लिये ए3T कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर लाने के लिये वाकी-टाकी पर सूचित करेगा अन्यथा कालिंग आन सिगनल आफ नहीं होगा। कालिंग आन सिगनल पर गाड़ियों का रिसैप्शन करने पर पूरी गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जाने के बाद एवं पीछे का रूट बुझ जाने के 2 मिनट बाद ही गाड़ी चलाने के लिये सम्बन्धित स्टार्टर सिगनल टेक आफ किया जा सकेगा। इस अवधि में 120 सेकेण्ड NJKE का इंडिकेशन पैनल पर जलता रहेगा।

15. **विफलताएं :-**

संकेतन एवं अन्तर्पाशन, गाड़ी संकेतन उपकरण तथा टेलीफोन की विफलता की दशा में निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। गाड़ी संचालन उपकरण एवं टेलीफोन की विफलता की दशा में अभियंत्रिकी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक नहीं है। जब संकेतन एवं अन्तर्पाशन विफल हो जाये तो साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.68, 3.69, 3.71, 3.76, 3.77, 3.81, और 5.01 में उल्लिखित प्रणाली तथा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संयुक्त परिपत्रों और अनुदेशों का अनुपालन किया जाय।

क्र० सं०	अधिकारी / कर्मचारी जिन्हे सूचित करना है	मुख्यालय
1	यॉन्त्रिक सिगनल अनुरक्षक	बहेड़ी
2	विद्युत सिगनल अनुरक्षक	बहेड़ी
3	जे० ई० सिगनल	इज्जतनगर
4	सीनियर सैक्शन इंजी० सिगनल	इज्जतनगर
5	सहायक मण्डल सिगनल एव दूर संचार इंजी०	इज्जतनगर
6	वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०	इज्जतनगर
7	मण्डल इंजी०/मुख्यालय	इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

8	सहायक मण्डल इंजी०	इज्जतनगर
9	सीनियर सैक्शन इंजी०-रेल पथ	भोजीपुरा
10	यातायात निरीक्षक	इज्जतनगर
11	मुख्य गाड़ी नियन्त्रक	इज्जतनगर
12	वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर
13	वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी	इज्जतनगर
14	वरिष्ठ मण्डल यॉन्त्रिक इंजी०	इज्जतनगर
15	दोनो छोर के स्टेशन मास्टर	भोजीपुरा एवं बहेड़ी

कार्यरत स्टेशन मास्टर सभी विफलताओं का सिगनल विफलता पंजिका में इन्दराज करें तथा सम्बन्धित ई०एस०एम० अथवा एम०एस०एम० को लिखित सूचना अवश्य दें। अनुरक्षक खराबियों को ठीक करने के उपरान्त उनमें खराबियों का विवरण कारण सहित ठीक करने का समय आदि का इन्दराज अपने हस्ताक्षर तिथि सहित करें और स्टेशन मास्टर से प्रति हस्ताक्षरितस भी करा लें।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ